अवध विहार योजना 2015

इस पुस्तिका में केवल सामान्य सूचनायें दी गयी हैं। विस्तृत सूचना के लिये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा फ्लैट्स के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 यथा संशोधित जून, 1986 तथा समय-समय पर विनियमावली में संशोधन जो परिषद मुख्यालय पर निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध होगी, का अवलोकन करें। पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी सभी कार्यवाही उपरोक्त विनियमावली, समय-समय पर जारी आदेशों एवं शासनादेशों के अनुसार की जायेगी। इनमें समय-समय पर किये गये संशोधन भी लागू होंगे।

1 फ्लैट्स की विशिष्टियाँ:-

विशिष्टियों का विवरण	सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकरण
आर0 सी0 सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर	भूकम्प रोधी फ्रेम स्ट्रक्चर
फर्श	300 × 300 सेरेमिक टाईल्स
ट्वायलेट	फर्श पर ऐन्टीस्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स
चौखट	एंगिल आयरन
दरवाजे	30 एम.एम. मोटाई के आई.एस.आई मार्कड् फ्लश डोर शटर्स
खिड़कियाँ	जेड सेक्शन
रंग रोगन	कलर लाइम वाश, दरवाजों पर इनेमलपेन्ट व बाहरी सतह पर एपेक्स
विद्युत	अग्नि रोधक कॉपर वायरिंग पियानो स्वीच

2-1 भूमि के मूल्य की गणना सम्पत्ति आवंटन के समय सम्बन्धित योजना की प्रचलित भूमि दर के आधार पर की जायेगी।

2-2 सम्पत्ति की लागत अनुमानित है। वास्तविक मूल्य प्रदेशन पत्र के आधार पर देय होगा। जो घट-बढ़ सकता है।